


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक-03.04.2018 के द्वारा श्री नगेन्द्र सिंह, व्याख्याता हिन्दी, राउमावि टिब्बी हनुमानगढ को शिकायत के आधार पर ए.पी.ओ निदेशालय बीकानेर करने के आदेश जारी किये गये ।

निदेशालय के उक्त आदेश दिनांक-03.04.2018 के विरुद्ध श्री नगेन्द्र सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एकलपीठ याचिका सं. 4965/2018 दायर की गई ।

माननीय न्यायालय ने प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक-09.04.18 को पारित आदेश में विभाग के आदेश दिनांक-03.04.18 के विरुद्ध स्थगन आदेश की पालना में श्री नगेन्द्र सिंह, व्याख्याता हिन्दी के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक-03.04.18 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण में अंतिम निर्णय के अधधीन प्रत्याहारित किया जाता है । श्री नगेन्द्र सिंह व्याख्याता हिन्दी राउमावि टिब्बी हनुमानगढ में कार्यरत रहेंगे ।


(नर्थमल डिडेल)


आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 16-7-18

कमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/नगेन्द्र सिंह/ एपीओ/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) बीकानेर
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक श्रीगंगानगर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि जोधपुर
- 4 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टिब्बी हनुमानगढ
- 5 श्री नगेन्द्र सिंह, व्याख्याता हिन्दी द्वारा प्रधानाचार्य राउमावि टिब्बी हनुमानगढ
- 6 अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा ।
- 7 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर